न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मु०न० — 140/2025

उनवान :—

1. मांगीलाल पुत्र दुलीचन्द जाति माली निवासी मिर्जावालीमेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र दौलतराम जाति नायक निवासी मिर्जावालीमेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़ :—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री महेश गौड अधिवक्ता प्रार्थी

श्री सुनिल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 17/9/25

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकारह है कि प्रार्थी के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 5 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075—78 खाता संख्या — 73/57 प०न० 203/380 (12) कि०न० 11, 20, 21, 22/1.012 0, 400 203/381 (13) 1, 2, 9, 10, 11, 12/1.518 है0, कुल तादादी 2.530 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति संलग्न प्रार्थनापत्र हैं, जो प्रार्थनापत्र का आधार है । अप्रार्थी संख्या — 1 के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 5 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075 — 78 खाता संख्या— 98/97 प०न० 203/380 (12) कि०न० 2 ता 9, 12 ता 19 / 4.048 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थनापत्र हैं, जो प्रार्थनापत्र का आधार है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या — 1 की कृषि भूमि के नजरी नक्शे संलग्न प्रार्थनापत्र हैं। प्रार्थी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या — 1 में वर्णित अपनी कृषि भूमि में आने—जाने के लिए अप्रार्थी संख्या — 1 के नाम प्रार्थनापत्र की चरण संख्या —2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक नम्बर 5 बी. आर. एन. के प0न0 203/380 (12) किवन0 16, 17, 18 प्रत्येक में 16 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा व किला नं0 19 में 16 फुट चौड़ा गुणा 20 फुट लम्बा रास्ता प्रत्येक किला के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चालू रास्ता से अपनी कृषि भूमि में किदमी अर्सा से आते—जाते रहे हैं। प्रार्थी के पास इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्याधिक आवश्यक्ता है । प्रार्थी अप्रार्थी संख्या—1 के नाम प्रार्थनापत्र की चरण संख्या—2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक नम्बर 5 बी. आर. एन. के प0न0 203/380 (12) कि0न0 16, 17, 18 प्रत्येक में 16 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा व किला नं0 19 में 16 फुट चौड़ा गुणा 20 फुट लम्बा रास्ता प्रत्येक किला के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चालू

Scanned with CamScanner

अरसा से किसानी करने में उपरोक्त केवल मात्र रास्ते के रूप में ही काम रहा है इसलिए इस भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैरमु0 रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है

यह कि प्रार्थी को कृषि भूमि में आने-जाने हेतु मात्र यही रास्ता उपलब्ध है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को काश्त करने के लिए फसल व कृषि यंत्र इसी रास्ते से लाने व ले जाते रहे हैं । प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी संख्या – 1 को अपनी कृषि भूमि में से प0न0 203/380 (12) किला नं0 22 में से पूर्व दिशा में 20 फुट लम्बी व 16 फुट चौड़ी भूमि को छोड़कर 145 फुट लम्बी व 57 फुट चौड़ी भूमि अर्थात 0.076 है0 भूमि देने को तत्पर एवं तैयार है । यह कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं क्षमताधिकार का है एवं पूर्ण न्यायशुल्क पर आधार निर्माण प्रस्तुत है । अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील डिग्गी के अधिनस्थ कि अप्रार्थी संख्या – 1 के नाम प्रार्थनापत्र की चरण संख्या –2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक नम्बर 5 बी. आर. एन. के प0न0 203/380 (12) किला0 16, 17, 18 प्रत्येक में 16 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा व किला नं0 19 में 16 फुट चौड़ा गुणा 20 फुट लम्बा अर्थात रास्ता प्रत्येक किला के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चालू रास्ता की कुल भूमि 0.076 है0 को गैरमु0 रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे एवं इसकी प्रविष्टी राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज फरमाई जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है, जोकि स्वीकार है । प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है, जोकि स्वीकार है । प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–3 स्वीकार है। प्रार्थी सम्बन्धित चालू रास्ता से अर्सा कदीम से आवागमन कर रहा है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–4 स्वीकार है । प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–5 के सम्बन्ध निवेदित है कि प्रार्थी ने रास्ता की भूमि के प्रतिफल स्वरूप चक 5 बी. आर. एन. की प0न0 203/380 (12) किला0 22 में से पूर्व दिशा में 20 फुट लम्बी व 16 फुट चौड़ी भूमि को छोड़कर 145 फुट लम्बी व 57 फुट चौड़ी भूमि अर्थात 0.076 है0 भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाता है तो प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष स्वीकार किये जाने से मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र एवं एतराज नही है । प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 6 न्यायालय से सम्बन्धित है । अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर तहसील डिग्गी के अधिनस्थ कि मुझ अप्रार्थी संख्या – 1 के नाम प्रार्थनापत्र की चरण संख्या –2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक नम्बर 5 बी. आर. एन. के प0न0 203/380 (12) किला0 16, 17, 18 प्रत्येक में 16 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा व किला नं0 19 में 16 फुट चौड़ा गुणा 20 फुट लम्बा अर्थात रास्ता प्रत्येक किला के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की

Scanned with CamScanner

और चालू रास्ता की कुल भूमि 0.076 है० को गै०मु० रास्ता स्वीकृत कर इसकी प्रविष्टी राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज की जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र एवं एतराज नही है । राजपैरोकार द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251ए आरटीए अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक चक नम्बर 5 बी. आर. एन. के प०न० 203/380 (12) कि०न० 16, 17, 18 प्रत्येक में 16 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा व किला नं० 19 में 16 फुट चौड़ा गुणा 20 फुट लम्बा अर्थात रास्ता प्रत्येक किला के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम गै०मु० रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के बदले में चक 5 बी. आर. एन. की प०न० 203/380 (12) कि०न० 22 में से पूर्व दिशा में 20 फुट लम्बी व 16 फुट चौडी भूमि को छोड़कर उत्तरी दिशा में 145 फुट लम्बी व 57 फुट चौड़ी भूमि अर्थात 0.076 है० भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम से दर्ज किया जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार गै0मु0 रास्ते का अंकन राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner